

अध्याय 3

3.1 संगठनात्मक संरचना और कार्य

3.1.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

3.1.1.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संसद के अधिनियम 95/1994 द्वारा भा.वि.प्रा. संशोधन अधिनियम 43, 2003 द्वारा संशोधित भारत सरकार का एक वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों के साथ-साथ अंशकालिक सदस्य भी शामिल होते हैं।

3.1.1.2 भा.वि.प्रा. की वेबसाइट www.airportsindia.org.in और www.aai.aero भा.वि.प्रा. की संगठनात्मक संरचना का विवरण प्रदान करते हैं।

3.1.1.3 डाक और टेलीग्राफिक पता

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

राजीव गांधी भवन,

सफदरजंग हवाई अड्डा,

नई दिल्ली – 110003

टेलीफोन: 011- 24632930

फैक्स: 011- 24641088

एएफएस VIDDYXAC

3.1.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एटीएम निदेशालय के कार्य

3.1.2.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों को भा.वि.प्रा. अधिनियम, 1994 के अध्याय III में सूचीबद्ध किया गया है।

3.1.2.2 वायु यातायात प्रबंधन निदेशालय के कार्य इस प्रकार हैं:

- भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी आगमन, प्रस्थान और ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों के लिए हवाई यातायात सेवा (एटीएस) का प्रावधान।
- एटीएस मार्गों की स्थापना, उपयोगकर्ता एयरलाइंस और आईएटीए और आईसीएओ जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के परामर्श से मौजूदा हवाई मार्गों का पुनर्गठन।
- नियंत्रण क्षेत्रों और नियंत्रण क्षेत्रों की स्थापना और मौजूदा नियंत्रण क्षेत्रों और क्षेत्रों में परिवर्तन।
- संबंधित सरकारी एजेंसियों के समन्वय से खतरे / निषिद्ध और प्रतिबंधित क्षेत्रों की स्थापना और उल्लिखित क्षेत्रों में परिवर्तन।
- संकट में विमान के लिए खोज और बचाव समन्वय प्रदान करना सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों और अन्य देशों के एटीएस को आईसीएओ द्वारा निर्धारित वैमानिकी सूचना सेवा (एआईएस) प्रदान करना।
- हवाई अड्डों का सर्वेक्षण, वैमानिकी मानचित्रों और चार्टों का प्रकाशन।
- भूमि (आईएएल) प्रक्रियाओं और आईएएल चार्ट के लिए साधन एप्रोच का विकास।
- आईसीएओ के एसएआरपीएस के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों के आसपास बाधाओं की निगरानी और नियंत्रण।
- हवाई क्षेत्र प्रबंधन, वायु दिक्कालन सेवाओं के प्रावधान और विमानन नियमों और विनियमों से संबंधित मामलों

पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय बैंकॉक और मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा के साथ समन्वय।

- अनुबंध 1 (कार्मिक लाइसेंसिंग) में बताए गए आईसीएओ नियमों और विनियमों के अनुरूप जनशक्ति योजना, प्रशिक्षण और हवाई यातायात नियंत्रकों को रेटिंग प्रदान करना।
- हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान में मानकों और प्रक्रियाओं की निगरानी।
- डीजीसीए के समन्वय से हवाई यातायात की घटनाओं की जांच करना और उसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- विमानन सुरक्षा से संबंधित मामले।
- हवाईअड्डों पर पर्यावरणीय खतरों की निगरानी।

3.1.2.3 हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं का प्रावधान भा.वि.प्रा. के आवश्यक कार्यों में से एक है। यह कार्य सदस्य (प्रचालन) के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, जो भा.वि.प्रा. के पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य हैं। सदस्य (प्रचालन) को रिपोर्ट करने वाले कार्यपालक निदेशक (एटीएम), एटीएम निदेशालय के प्रमुख हैं। एटीएस प्रभारी अपने संबंधित स्टेशनों पर एटीएस के प्रावधान की निगरानी करने और संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।

3.1.1.4 विमानपत्तनों और ऐसे स्थानों पर जहां विमान के सुरक्षित दिक्कालन के लिए आवश्यक समझा जा सकता है, नौवहन और निगरानी उपकरणों और संचार उपकरणों की योजना, खरीद, स्थापना और रखरखाव का कार्य भा.वि.प्रा. के सीएनएस विंग द्वारा किया जाता है।

3.2 हवाई यातायात प्रबंधन निदेशालय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

3.2.1 एटीएम सेवाओं में हवाई यातायात नियंत्रण, वैमानिकी सूचना, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, प्रवाह प्रबंधन और एटीसी प्रशिक्षण का प्रबंधन शामिल है।

3.2.2 भा.वि.प्रा. निगमित मुख्यालय में एटीएम निदेशालय निगमित रणनीति, हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान में सुरक्षा और एकरूपता के लिए प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के विकास, हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान का रणनीतिक पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और हवाई यातायात नियंत्रकों की रेटिंग, पुनर्श्रव्य प्रशिक्षण, भारत में और बाहर अन्य संबंधित संगठनों के साथ समन्वय सहित, की देखरेख करता है। एटीएम निदेशालय को हवाईअड्डा अग्निशमन सेवाएँ, वैमानिक जानकारी सेवाएँ, कार्टोग्राफी सेवाएँ और खोज और बचाव सेवाएं के प्रावधान से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

3.3 प्रचालन पर्यवेक्षण

हवाई यातायात सेवाओं के पर्यवेक्षण का गतिशील अनुप्रयोग एटीएस प्रभारियों के पास उनके संबंधित स्टेशनों पर होता है जहां एटीसी हवाई यातायात सेवाएं उपलब्ध हैं। एटीएस प्रभारी वैमानिकी सूचना प्रकाशन (एआईपी) में प्रकाशित प्रत्येक उड़ान सूचना क्षेत्र में क्षेत्रीय इकाइयों से तकनीकी और प्रशासनिक सहायता और मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं।

3.4 एटीएम स्टाफिंग

3.4.1 एटीएम निदेशालय कर्मचारी नियोजन उद्देश्यों के लिए पूरे देश के लिए प्रचालन (एटीएम) स्टाफिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है:

- क) यातायात स्तर और हवाई क्षेत्र की जटिलताओं के आकलन के आधार पर एटीएस आवश्यकताएं;
- ख) संचालित की जाने वाली परिचालन पारियों की संख्या;

- ग) थकान प्रबंधन;
- घ) पुनश्चर्या प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित प्रशिक्षण;
- ड) छुट्टी की आवश्यकताएं।

3.5 हवाई यातायात सेवाओं का प्रावधान

3.5.1 कुछ सैन्य क्षेत्रों, राज्य, सैन्य और निजी एयरोड्रोम के अपवाद के साथ, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्रों द्वारा शामिल प्रादेशिक जल और साथ ही उच्च समुद्र सहित भारतीय क्षेत्र में पूरे हवाई क्षेत्र के लिए हवाई यातायात सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह हवाई क्षेत्र लगभग 2.8 मिलियन वर्ग समुद्री (नॉटिकल) मील को कवर करता है।

3.5.2 निम्नलिखित पर विचार करके हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान की आवश्यकता निर्धारित की गई है:

- क) शामिल हवाई यातायात के प्रकार;
- बी) हवाई यातायात का घनत्व;
- ग) मौसम संबंधी स्थितियां।

3.5.3 उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध 11 के पैरा 2.9 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में उड़ान सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इनके हवाई क्षेत्र क्षेत्राधिकार को क्रमशः दिल्ली एफआईआर, मुंबई एफआईआर, कोलकाता एफआईआर, चेन्नई एफआईआर और गुवाहाटी एफआईआर के रूप में नामित किया गया है।

3.5.4 हवाई क्षेत्र के वे हिस्से जहां यह निर्धारित किया गया है कि आईएफ़आर उड़ानों को हवाई यातायात नियंत्रण सेवा प्रदान की जाएगी, उन्हें एआईपी इंडिया में वर्णित नियंत्रण क्षेत्रों या नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है।

3.5.5 हवाई क्षेत्र के वे हिस्से जहां यह निर्धारित किया गया है कि वीएफआर उड़ानों को हवाई यातायात नियंत्रण सेवा प्रदान की जाएगी, उन्हें क्लास डी हवाई क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है।

3.5.6 उड़ान सूचना क्षेत्र के भीतर नियंत्रण क्षेत्र और नियंत्रण क्षेत्र उस उड़ान सूचना क्षेत्र का हिस्सा बनते हैं। इन नियंत्रण क्षेत्रों और नियंत्रण क्षेत्रों को अनुबंध 11 के पैरा 2.9 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया है।

3.5.7 नियंत्रण क्षेत्रों, नियंत्रण क्षेत्रों और नियंत्रित हवाईअड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवा, उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित हवाई यातायात नियंत्रण इकाइयों की स्थापना की गई है।

क) क्षेत्र नियंत्रण केंद्र:

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, मैंगलोर और वाराणसी में क्षेत्र नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। जबकि गुवाहाटी और मैंगलोर में क्षेत्र नियंत्रण केंद्र एआईपी इंडिया में प्रकाशित प्रतिबंधित घंटों के लिए काम करते हैं, अन्य सभी क्षेत्र नियंत्रण केंद्र 24 घंटे के आधार पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाएं प्रदान करते हैं।

ख) एप्रोच नियंत्रण इकाई और एयरोड्रोम नियंत्रण टावर:

(i) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, हैदराबाद और मैंगलोर हवाईअड्डों पर अलग से एप्रोच नियंत्रण और हवाईअड्डा नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए अलग से पहुंच नियंत्रण इकाइयां और हवाईअड्डा नियंत्रण टावर स्थापित किए गए हैं। गुवाहाटी और मैंगलोर हवाईअड्डों पर ये इकाइयां एआईपी इंडिया/ नोटैम्स में प्रकाशित प्रतिबंधित घंटों के लिए काम करती हैं। ऊपर उल्लिखित अन्य सभी हवाई अड्डों पर, ये सेवाएं 24 घंटे के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

(ii) निम्नलिखित हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा नियंत्रण टावर स्थापित किए गए हैं ताकि हवाईअड्डा नियंत्रण सेवा के साथ-साथ पहुंच नियंत्रण सेवा दोनों प्रदान की जा सके: अगरतला, अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, भावनगर, भुवनेश्वर, कोचीन अंतरराष्ट्रीय, कोयम्बटूर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गया, इम्फाल, कालीकट, इंदौर, जयपुर, केशोद,

खजुराहो, लखनऊ, मदुरै, मैंगलोर, नागपुर, पोरबंदर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, त्रिची, तिरुपति, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी और विजयवाड़ा। इन एयरोड्रम नियंत्रण टावरों के प्रचालन के घंटों का विवरण वैमानिकी सूचना प्रकाशन, भारत में प्रकाशित किए गए हैं।

(iii) एयरोड्रम नियंत्रण टावर जहां एयरोड्रम यातायात के लिए केवल एयरोड्रम नियंत्रण सेवा प्रदान की जाती है: भुंतर, देहरादून, गगल, कानपुर (सिविल), कोटा, लेंगपुई, लीलाबारी, हुबली, पांडिचेरी, राजमुंदरी, सेलम, बेलगाम, जबलपुर, जुहू, कांडला, दीव, बारा पानी, तूतीकोरिन, लुधियाना, पंत नगर, शिमला, सफदरजंग, सूरत।

3.5.8 उपरोक्त 3.5.7 (बी) में सूचीबद्ध हवाईअड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवा प्रदान की जाती है और तदनुसार इन्हें नियंत्रित हवाईअड्डे के रूप में नामित किया जाता है।

3.5.9 हवाई यातायात सेवाओं या एटीसी इकाइयों के प्रचालन के घंटे एआईपी इंडिया में प्रकाशित किए जाते हैं। किसी भी परिवर्तन या संशोधन को नोटैम द्वारा और बाद में एआईपी संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है।

3.5.10 भा.वि.प्रा. द्वारा नियंत्रित एयरोड्रोम पर प्रदान की जाने वाली एयरोड्रम नियंत्रण सेवा एयरोड्रम के आसपास के हवाई क्षेत्र और एयरोड्रम के मनुवरिंग क्षेत्र तक सीमित है, जिसमें सभी परिचालन रनवे और टैक्सीवे शामिल हैं लेकिन इसमें एप्रन शामिल नहीं है।

3.5.11 एक हवाईअड्डे के मनुवरिंग क्षेत्र पर खींचे गए विमानों सहित व्यक्तियों या वाहनों की आवाजाही को हवाईअड्डा नियंत्रण टावर द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि उन्हें या विमान के उतरने, टैक्सी करने या उड़ान भरने के लिए खतरे से बचा जा सके।

3.5.12 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम एयरोड्रोम में एप्रन प्रबंधन सेवा एक अलग एप्रन नियंत्रण यूनिट द्वारा प्रदान की जाती है।

3.5.13 उड़ान सूचना केंद्रों और क्षेत्र नियंत्रण केंद्रों की पहचान आसपास के कस्बों/शहरों के नाम से की गई है। एयरोड्रम नियंत्रण टावर और एप्रोच नियंत्रण यूनिट की पहचान भी आसपास के कस्बों/शहरों के नाम से की गई है सिवाय इसके कि जहां एक शहर के पास एक से अधिक एयरोड्रम स्थित हों, शहर के छोटे हवाई अड्डे पर स्थित हवाईअड्डा नियंत्रण टावर की पहचान उसके स्थान के नाम से की गई है।

3.5.14 नियंत्रण क्षेत्र, नियंत्रण क्षेत्र और उड़ान सूचना क्षेत्र ऐसे हवाई क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली इकाइयों के नाम से पहचाने गए हैं।

3.5.15 एटीएस मार्गों को एआईपी में प्रकाशित किया गया है। इन मार्गों को अनुबंध 11 के पैरा 2.11 के प्रावधानों के अनुसार पहचाना, स्थापित और नामित किया गया है।

3.5.16 आरएनपी 10 एआईपी ईएनआर 3 में प्रकाशित कुछ निर्दिष्ट एटीएस मार्गों के लिए निर्धारित किया गया है। इन मार्गों को क्षेत्रीय हवाई दिक्चालन समझौतों के आधार पर निर्धारित किया गया है और संबंधित हवाई क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी और हवाई यातायात सेवाओं के स्तर के लिए उपयुक्त हैं।

3.5.17 प्रत्येक एटीसी इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली हवाई यातायात सेवाओं का सारांश, जिसमें हवाई क्षेत्र का वर्गीकरण, हवाई क्षेत्र का पदनाम, हवाई क्षेत्र का क्षेत्राधिकार, संचालन के घंटे और सेवा का प्रकार शामिल है, एआईपी इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। संबंधित मानचित्र और चार्ट एआईपी में प्रकाशित किए जाते हैं।

3.5.18 हवाई यातायात सेवाओं से संबंधित वैमानिकी डेटा का निर्धारण और रिपोर्टिंग एटीएम निदेशालय के कार्टोग्राफी अनुभाग द्वारा किया जाता है। इन आंकड़ों का निर्धारण और रिपोर्टिंग मैनुअल रूप से की जाती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक वैमानिकी डेटा सिस्टम उपलब्ध नहीं है।

3.5.19 एटीएम निदेशालय का नक्शानवीसी अनुभाग वैमानिकी सूचना सेवाओं के लिए अपरिष्कृत वैमानिकी सूचना/डेटा के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है। यह परिशिष्ट 5 से अनुलग्नक 11 में वैमानिकी डेटा के लिए निर्दिष्ट सटीकता और अखंडता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है।

3.6 खोज और बचाव (एसएआर)

3.6.1 जिम्मेदार प्राधिकरण

भारत में खोज और बचाव सेवा का समन्वय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है, जिसके पास आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है।

3.6.2 जिम्मेदारी का क्षेत्र

खोज और बचाव सेवा पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रादेशिक जल के साथ-साथ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एफआईआर द्वारा शामिल उच्च समुद्रों पर हवाई क्षेत्र भी शामिल है।

3.6.3 बचाव समन्वय केंद्रों और संबंधित खोज और बचाव इकाइयों का विवरण पृष्ठ सामान्य 3.6-2 से सामान्य 3.6-7 पर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अन्य विभाग जैसे रेलवे, पीएंडटी, ऑल इंडिया रेडियो, पुलिस और जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट आदि, नगरपालिका और स्थानीय निकाय, एयरलाइंस ऑपरेटर, फ्लाईंग क्लब, प्रोफेशनल पायलट, मर्केटाइल मरीन, पोर्ट ट्रस्ट और सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर खोज और बचाव मिशन के लिए उपलब्ध हैं।

3.6.4 उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव

3.6.4.1 भारत ने कॉसपास/सासैट प्रणाली में उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव कार्यक्रम भागीदारी विकसित की है। यह 121.5, 243.0 मेगाहर्ट्ज और 406 मेगाहर्ट्ज पर संचालित होता है। स्थान सटीकता सामान्य रूप से 121.5 और 243 मेगाहर्ट्ज पर 20 किलोमीटर और 406 मेगाहर्ट्ज पर 5 किलोमीटर के भीतर है। यह प्रणाली भारतीय एसआरआर और बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, श्रीलंका और थाईलैंड के एसआरआर के माध्यम से इन तीन आवृत्तियों पर प्रसारण का पता लगाएगी।

3.6.4.2 इस कार्यक्रम के तहत बंगलौर में भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र (एमसीसी) के साथ दो स्थानीय उपयोगकर्ता टर्मिनल (एल्यूटी) स्थापित किए गए हैं, एक बैंगलोर में और दूसरा लखनऊ में, जो बचाव समन्वय केंद्रों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मिशन नियंत्रण केंद्र के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

3.6.4.3 बंगलौर में एमसीसी एएफएस नेटवर्क के माध्यम से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में आरसीसी से जुड़ा हुआ है और कवर किए गए क्षेत्रों से प्राप्त किसी भी संकट की चेतावनी स्वचालित रूप से आरसीसी को प्रेषित की जाती है।

3.6.5 एसएआर समझौते

3.6.5.1 वर्तमान में भारत का अन्य देशों के साथ कोई एसएआर समझौता नहीं है।

3.6.5.2 संकट में विमान की खोज में संलग्न होने के लिए और दुर्घटनाग्रस्त विमान के बचे लोगों के बचाव के लिए अन्य राज्यों से विमान, उपकरण और कर्मियों के प्रवेश के लिए अनुरोधों को नागर विमानन महानिदेशालय को प्रेषित किया जाना चाहिए। नागर विमानन महानिदेशालय का डाक और तार पता एआईपी इंडिया के पृष्ठ जनरल 1.1 पर दिया गया है।

3.7 हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) और एटीसी सहायकों की भर्ती एएआई की स्थापित भर्ती प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। उम्मीदवारों को न्यूनतम निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को एक प्रतियोगी परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा सहित चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

3.8 एटीसी प्रशिक्षण

3.8.1 नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में चयनित पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि के एटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है। (सीएटीसी इंडिया)

3.8.2 सीएटीसी में एटीएम संकाय निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित करता है:

क) प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम

- हवाईअड्डा अधिकारियों का प्रारंभिक पाठ्यक्रम
- हवाईअड्डा सहायकों का प्रारंभिक पाठ्यक्रम

ख) पुनश्चर्या - सह - कैरियर प्रगति पाठ्यक्रम

- हवाईअड्डा नियंत्रण पाठ्यक्रम
- एप्रोच नियंत्रण पाठ्यक्रम
- क्षेत्र नियंत्रण पाठ्यक्रम
- एटीसीओ का उन्नत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

ग) विशेषज्ञ पाठ्यक्रम

- रडार नियंत्रण एप्रोच पाठ्यक्रम
- खोज और बचाव पाठ्यक्रम
- एटीसी (ओजेटी) निर्देशात्मक तकनीक पाठ्यक्रम
- आरएनपी/आरएनएवी आवेदन मानदंड पाठ्यक्रम
- इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर डिजाइनिंग कोर्स

3.8.3 प्रवेश मानदंड

3.8.3.1 हवाईअड्डा अधिकारियों का प्रारंभिक पाठ्यक्रम

- दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक या भौतिकी में मास्टर डिग्री
- अंग्रेजी भाषा की अच्छी कमान, लिखित और बोली जाने वाली दोनों।
- आईसीएओ एनेक्स-1 वॉयस टेस्ट के अनुसार मेडिकल फिटनेस।

3.8.3.2 हवाईअड्डा सहायकों का प्रारंभिक पाठ्यक्रम

- मुख्य विषयों के रूप में भौतिकी और गणित रखने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
- लिखित और बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान।
- अनुबंध-1 के अनुसार चिकित्सा स्वस्थता

3.8.4 सीएटीसी में पाठ्यक्रम परीक्षा

3.8.4.1 प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, प्रशिक्षुओं को एक लिखित परीक्षा के साथ-साथ नकली हवाई यातायात नियंत्रण अभ्यास और एक मौखिक परीक्षा से युक्त व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

3.9 ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण और रेटिंग

3.9.1 एटीसी अधिकारियों को सीएटीसी में अनुमोदित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि के लिए उनकी पोस्टिंग के स्टेशनों पर एटीसी इकाइयों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) से गुजरना पड़ता है, ओजेटी के दौरान एटीसीओ ने रेटिंग परीक्षा देने के योग्य बनने के लिए निर्दिष्ट विषयों में एटीसी इकाई के लिए उपयुक्त ज्ञान के स्तर का प्रदर्शन किया होगा।

3.9.2 एटीसीओ द्वारा पर्याप्त विश्वास पैदा करने और स्वतंत्र रूप से हवाई यातायात को संभालने में विभिन्न स्थितियों से निपटने की क्षमता दिखाने के बाद एक रेटिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। रेटिंग परीक्षा में शामिल होंगे:

- एक लिखित परीक्षा
- ऑन-द-जॉब मूल्यांकन
- एक मौखिक परीक्षा

3.9.3 समय-समय पर संशोधित दारा परिपत्रों में अधिसूचित आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के अधीन सभी रेटिंग जारी की जाती हैं।

3.10 जाँच कार्यक्रम

3.10.1 नियमित मूल्यांकन

क) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में दक्षता मूल्यांकन संबंधित महाप्रबंधक (एसएंडपी) / उप महाप्रबंधक (एसएंडपी) / डब्ल्यूएसओ और अन्य सभी स्टेशनों पर एटीएस प्रभारी द्वारा आयोजित किया जाएगा।
ख) प्रवीणता मूल्यांकन नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नियंत्रक का मूल्यांकन उन सभी परिचालन पदों पर किया जाता है जिनके लिए नियंत्रक द्वारा रेटिंग की जाती है।
ग) मूल्यांकन के व्यक्तिगत रिकॉर्ड संबंधित स्टेशन पर बनाए रखे जाएंगे और तिमाही रिपोर्ट महाप्रबंधक (एसएंडपी) को भेजी जाएगी।
घ) एटीएस प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी रेटेड नियंत्रक प्रवीणता के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए प्रचालन पदों पर पर्याप्त समय बिताएं।

3.10.2 आवधिक मूल्यांकन

3.10.2.1 एएआई के मानकीकरण प्रभाग के अधिकारियों और डीजीसीए के अधिकारियों की एक टीम द्वारा संयुक्त दक्षता जांच घूर्णी आधार पर और पूर्व सूचना सहित हर वर्ष एक बार सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों, एसीसी केंद्रों और अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर की जाएगी। टीम प्रचालन और/या सिस्टम की कमी, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए भी जिम्मेदार होगी और अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एटीएस प्रभारी को इसकी रिपोर्ट करेगी।

3.10.2 यदि यह पाया जाता है कि एक हवाई यातायात नियंत्रक का प्रदर्शन असंतोषजनक है, तो उसकी रेटिंग को निलंबित किया जा सकता है और उचित सुधारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवीणता का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

3.10.3 1998 के दारा परिपत्र संख्या 6 में अधिसूचित आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के अधीन हवाई यातायात नियंत्रकों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा।